लघु एवं कुटीर उद्योग: वित्तपोषण में चुनौतियां

अनिल भारद्वाज

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की अपनी खास जरूरतें और विभिन्न चुनौतियां हैं। सूक्ष्म उद्यम कुल मिलाकर *अनौपचारिक* और *असंगठित* हैं। इनमें से लगभग सभी प्रोपराइटरी भागीदारी फर्में हैं न कि कंपनियां। इस कारण इनके दायित्व असीमित हो जाते हैं। अपनी अनौपचारिक प्रकृति के कारण ये वित्तीय समावेशन की चुनौतियों का सामना करते हैं। इनके पास बैंकों के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज का अभाव होता है। लघु उद्यम बेहतर तरीके से संगठित हैं। इनकी मुख्य समस्याओं में जोखिम पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ज्यादातर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का आधार माना जाता है। सभी इनके व्यापक योगदान को स्वीकार करते हैं जो समाज के सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिकीय आयामों तक फैला हुआ है। इसके अलावा सभी इस बात को मानते हैं कि एमएसएमई को वित्त प्राप्त करने के लिए सभी जगह बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यद्यपि, ये परेशानियों के आकार विकसित और गरीब विकासशील देशों में अलग-अलग हो सकते हैं, फिर भी एमएसएमई को पैसे की कमी का सामना करना ही पड़ता है। आईएफसी/मैकिंसी ने दुनिया भर में औपचारिक और अनौपचारिक एमएसएमई के क्रेडिट अंतराल का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक रूप से 3.9 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है जिसमें से 2.1 से 2.6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर उभरते हुए बाजारों में है।

एमएसएमई पर एक नजर

भारत पर नजर डालें तो यहां एमएसएमई की व्याख्या संयंत्र एवं मशीनरी (भूमि और भवन को छोड़कर) में निवेश के आधार पर की जाती है जो अन्य ज्यादातर देशों में उत्पादन/रोजगार आधारित मानदंड से बिल्कुल अलग है। (तालिका 1)

चौथे एमएसएमई सर्वेक्षण (2006-07) और छठें आर्थिक सर्वेक्षण (2013) के आधार पर, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2016-17) में अनुमान लगाया गया है कि भारत में 5.13 करोड़ एमएसएमई हैं जिनमें 11.1 करोड़ लोग रोजगाररत हैं। भारत के विनिर्माण उत्पादन और एमएसएमई सकल मूल्यवर्धन में एमएसएमई का योगदान तालिका 2 में वर्णित है।

इसके अलावा, चौथे एमएसएमई सर्वेक्षण यह बताता है कि लगभग 90 प्रतिशत एमएसएमई निधीयन के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से आंकड़े चुने गए हैं, यह स्पष्ट है कि एमएसएमई के लिए ऋण की मात्रा मांग की तुलना में बहुत कम है। एमएसएमई क्षेत्र में कुल 32.5 लाख करोड़ रुपए (650 बिलियन अमरीकी डॉलर) के वित्त की आवश्यकता है। इसमें से डेबिट मांग 26 लाख करोड़ रुपए (520 बिलियन अमरीकी डॉलर) और इक्विटी मांग 6.5 लाख करोड़ रुपए (130 बिलियन अमरीकी डॉलर) है।

तालिका 1: एमएसएमई की परिभाषा

श्रेणी	विनिर्माण (रुपए में) (संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश)	सेवाएं (रुपए में) (उपकरण में निवेश)
सूक्ष्म	25 लाख से अधिक नहीं	10 लाख से अधिक नहीं
लघु	25 लाख से अधिक किन्तु 5 करोड़ से कम	10 लाख से अधिक किन्तु 2 करोड़ से कम
मध्यम	5 करोड़ से अधिक किन्तु 10 करोड़ से कम	2 करोड़ से अधिक किन्तु 5 करोड़ से कम

लेखक भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम महासंघ (एफआईएसएमई) दिल्ली के महासचिव हैं। वे एसएमईएस की तरक्की के लिए केंद्र द्वारा गठित विभिन्न उच्चस्तरीय समितियों में शामिल रहे। विश्व बैंक की विभिन्न एसएमई विकास परियोजनाओं के सलाहकार भी रहे। ईमेल: sg@fisme.org.in

तालिका 2: भारत के विनिर्माण उत्पाद में लघु, कुटीर उद्योगों की भूमिका

मौजूदा मूल्यों पर विनिर्माण उत्पादन			आधार वर्ष 2011-12 के लिए स्थिर मूल्यों पर एमएसएमई जीवीए से जीवीए/जीडीपी का हिस्सा (%)					
वर्ष	एमएसएमई विनिर्माण उत्पादन*	कुल विनिर्माण उत्पादन में हिस्सा (%)	एमएसएमई विनिर्माण		एमएसएमई सेवा		कुल	
			जीवीए में	जीडीपी में	जीवीए में	जीडीपी में	जीवीए में	जीडीपी में
2011-12	2167110	33.12	6.64	6.16	25.66	23.81	32.29	29.97
2012-13	2385248	33.22	6.77	6.27	26.05	24.13	32.89	30.40
2013-14	2653329	33.27	6.79	6.27	26.40	24.37	33.19	30.64
2014-15	2783433	33.40	6.63	6.11	26.72	24.63	33.34	30.74

*करोड़ रुपये में

स्रोत: विभिन्न सर्वेक्षणों से परिकलित

एमएसएमई के लिए औसत बकाया बैंक ऋण के लगभग 2 करोड़ ऋण खातों में 11 लाख करोड़ रुपए (मार्च 2016) तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जिसके 10.34 लाख करोड़ रुपए (तालिका 3) रहने का अनुमान था। इसकी तुलना में अनुमानित आवश्यकता 26 लाख करोड़ रुपए है तथा एमएसएमई की संख्या 5 करोड़ है।

यह जाहिर है कि मौजूदा वित्तीय ढांचे के साथ एमएसएमई के एक बड़े वर्ग तक नहीं पहुंचा जा सका है। ऐसी कौन-सी बाधाएं हैं जिनके कारण इतने सारे एमएसएमई संस्थागत वित्तीय व्यवस्था के बाहर छूट गए हैं? यह स्थिति मांग और आपूर्ति, दोनों पक्ष की है।

आपूर्ति संबंधी अवरोध

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सहकारी ऋण संस्थाओं के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक, निजी क्षेत्र के 26 बैंक, 46 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1,574 शहरी सहकारी बैंक और 93,913 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत बैंकिंग प्रणाली संपत्ति के 70 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण रखते हैं। भारत में सरकारों पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि वे बजट घाटे को पूरा करने, राजनीतिक योजनाओं को वित्तपोषित करने और अपनी पसंद की परियोजनाओं/प्रवर्तकों के लिए निधि के प्रवाह को प्रभावित करने के लिए बैंक जमा को एक ओर (सरकारी प्रतिभूतियों और बंधपत्रों के जरिए) रख देते हैं।

सबसे पहले, पीएसयू बैंकों, जो बैंकिंग प्रणाली के सबसे शक्तिशाली घटक हैं, पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है जिसके कारण बैंक के मालिकों और ग्राहकों दोनों के लिए कमतर प्रतिस्पर्धा होती है और कमतर परिणाम सामने आते हैं।

दूसरा, बैंकों (20 से अधिक शाखाओं वाले स्वदेशी वाणिज्यिक बैंक और विदेशी बैंक दोनों) के लिए अपने कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत *प्राथमिकता वाले क्षेत्र* को ऋण देना अपेक्षित है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र शामिल है, जिसका लक्ष्य 18 प्रतिशत है तथा अन्य क्षेत्रों में एमएसएमई, शिक्षा, आवास और निर्यात ऋण आते हैं।

एक बात तो साफ है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के ऋण देने संबंधी लक्ष्यों में एमएसएमई के लिए अलग से कोई उप-बजट नहीं है। एमएसएमई को आवास और शिक्षा जैसे उन क्षेत्रों के साथ रखा गया है, जिन्हें बैंक अधिक फायदेमंद और आसान मानते हैं।

तीसरा, औद्योगिक वित्तीयन वित्तीय संस्थाओं से दो विशेष अपेक्षाएं पूरी करने की परिकल्पना करता है- लंबी अवधि के लिए ऋण देने की क्षमता चूंकि परियोजनाओं को परिपक्व होने में समय लगता है, और व्यवसाय चक्र तथा प्रौद्योगिकी को समझने के लिए क्षेत्र की तकनीकी जानकारी। औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1950 और 1960 के दशक में आईडीबीआई, आईसीआईसीआई आदि जैसे अनेक विशेषज्ञ संस्थाओं का गठन किया गया था। 1991 से पहले औद्योगिक विकास वित्तीयन संस्थाओं (दीर्घावधि के लिए) द्वारा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाता था तथा बैंक कार्यशील पूंजी (अल्पावधि) उपलब्ध कराते थे। ऐसी ही संस्थाएं राज्यों में भी मौजूद थीं जहां राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) एमएसएमई को परियोजना वित्त उपलब्ध कराते थे। उदारीकरण के बाद, वित्तीय संस्थाओं ने वाणिज्यिक बैंकों में विलय अथवा रूपांतर के जरिए वाणिज्यिक बैंकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और अधिकांश एसएफसी बंद हो गए।

किन्तु, बैंकों की समस्या है कि वे अपेक्षाकृत कम अवधि की जमा लेते हैं और इसलिए लंबी अवधि के लिए ऋण देने से कतराते हैं क्योंकि इससे उनकी परिसम्पत्ति-दायित्व स्थिति अनिश्चित हो जाती है। इसके अलावा, उनमें तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है जो क्षेत्रगत जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक

तालिका 3: एमएसएमई को औसत बैंक ऋण प्रवाह (बकाया ऋण करोड़ रुपए में)

वर्ष (सूचित किया गया अंतिम शुक्रवार)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
मार्च 2012	5,33,279.29	1,24,725.66	23,300.71	6,81,305.66
मार्च 2013	6,43,525.02 (20.7%)	1,82,247.82 (46.1%)	43,251.30 (85.6%)	8,69,024.14 (27.6%)
मार्च 2014 (अनंतिम)	7,54,391.07 (17.2%)	2,46,025.76 (35.0%)	34,359.17 (-20.6%)	10,34,775.99 (19.1%)

नोट: ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े साल-दर-साल वृद्धि/कमी का प्रतिशत दर्शाते हैं। स्रोत: आरबीआई

तालिका 4: एमएसएमई के लिए गैर-कार्यनिष्पादित सकल परिसम्पत्ति (एनपीए)
(बकाया सकल एनपीए राशि करोड़ रुपए में और एनपीए % में)

वर्ष (सूचित किया गया अंतिम शुक्रवार)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
मार्च 2012	24,272.44 (6.1%)	1,880.73 (1.7%)	159.83 (0.7%)	26,312.99 (5.0%)
मार्च 2013	28,575.29 (5.7%)	2,506.44 (1.6%)	396.23 (1.3%)	31,477.96 (4.6%)
मार्च 2014 (अनंतिम)	38,949.80 (6.3%)	3,021.63 (1.5%)	457.36 (1.5%)	42,428.79 (5.0%)

नोट: *ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े एनपीए प्रतिशत को दर्शाते हैं*

स्रोत: *आरबीआई*

है। इसलिए, सहज रूप से बैंकर औद्योगिक परियोजनाओं को तब तक जोखिमपूर्ण मानते हैं जब तक कि प्रमोटर प्रतिष्ठित न हों और परियोजनाओं के अनुमोदन के निर्णय समिति के जरिए अथवा कंसोर्टियम द्वारा ऋण प्रदान किए जाने जैसे तरीके से लिए जाएं जिससे व्यक्तिगत बैंक अधिकारी असफलता की स्थिति से न डरें। स्वाभाविक रूप से, बड़े व्यावसायिक घराने और बड़े कॉरपोरेट इस परीक्षा में पास हो जाते हैं। एमएसएमई के मामले में, जहां प्रोमोटर इतने विख्यात नहीं होते तथा नए उद्यमी होते हैं, वहां बैंकर अपने जोखिम को कम करने के लिए ऋण हेतु ऋणाधार आधारित परिसम्पत्ति पर जोर देते हैं। परिसम्पत्ति आधारित ऋणाधार न रखने वाले संभावित एमएसएमई प्रोमोटरों को छोड़ दिया जाता है। और जब कुछ प्रोमोटर ऋणाधार लाते भी हैं तो वह ऋण के आकार के अनुरूप नहीं होता जिससे परियोजना का आकार छोटा हो जाता है।

इसके अलावा, भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मानक बेसिल-II मानक अपनाने से एमएसएमई को ऋण प्रदान किया जाना और कठिन हो गया है। बेसिल-II का पालन करते हुए आरबीआई वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा रखता है कि वे कार्य संचालन में आने वाले जोखिम का सामना करने के लिए 'पर्याप्त' नगद आरक्षित रखें। चूंकि बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र को परिसम्पत्ति आधारित ऋण नहीं दिया जाता है, इसलिए एमएसएमई को परिसम्पत्ति आधारित ऋण पर अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता है। आरबीआई बैंकों से यह भी कहता है कि वे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग दिए जाने वाले अपने निवेश को 5 करोड़ से अधिक रखें। केवल इतना ही नहीं, आरबीआई बैंकों को पूर्व चेतावनी प्रणाली, विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) अपनाने का भी अधिदेश देता है जहां मूलधन अथवा ब्याज के भुगतान में 30 दिन की देरी होने पर भी उनके 90 से अधिक दिन के भुगतान चक्र के जरिए इसकी सूचना दी जाती है। एमएसएमई को इन सभी उपायों के खतरों का सामना करना पड़ता है।

अंततः कुछ समय पहले तक यह स्थिति थी कि कागजों पर तमाम तरह के कानूनी उपायों के बावजूद वित्तपोषित व्यवसाय के असफल रहने पर बैंकरों के लिए परिसंपत्ति (कार अथवा मकान से अलग) का अधिकार प्राप्त करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी, कठिन और खर्चीली होती है कि बैंकर जोखिम लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते।

अंततः सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारों में से एक भारतीय दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 का लागू होना है। इस संहिता के तहत बोर्ड ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। कार्पोरेट कंपनियों (कंपनी अधिनियम द्वारा शासित) के लिए नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया गया है तथा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों (मुख्य रूप से एमएसएमई) के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आईबीआईसी बीमारी का समाधान करने के लिए तैयार है।

मांग संबंधी अवरोध

एमएसएमई एक मिला-जुला क्षेत्र है जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की श्रेणियां शामिल हैं जिनकी अपनी विशेष जरूरतें और विभिन्न चुनौतियां हैं। सूक्ष्म उद्यम कुल मिलाकर 'अनौपचारिक' और 'असंगठित' हैं। इनमें से लगभग सभी प्रोपराइटरी भागीदारी फर्में हैं न कि कंपनियां जिस कारण उनके दायित्व असीमित हो जाते हैं। इनमें से कई अनधिकृत/गैर-अनुमोदित जगह से कार्य करते हैं चूंकि अनुमोदित वाणिज्यिक स्थल या तो उपलब्ध नहीं होते अथवा अधिकांश की पहुंच से बाहर होते हैं। अपनी अनौपचारिक प्रकृति के कारण ये वित्तीय समावेशन की चुनौती का सामना करते हैं, इनके पास बैंकों के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज का अभाव होता है।

लघु उद्यम श्रेणी अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से संगठित है तथा मुख्यतः बी2बी श्रेणी में कार्य करती है। इनकी मुख्य समस्याएं हैं नया व्यवसाय शुरू करने के लिए जोखिम पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई, पर्याप्त और अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता चूंकि उनके बड़े खरीदार आमतौर पर भुगतान में देरी करते हैं।

एमएसएमई क्षेत्र के भीतर मध्यम उद्यम श्रेणी को वैश्विक रूप से मजबूत और संभावनाओं से भरपूर श्रेणी माना जाता है चूंकि यह सही स्तर पर काम करती है तथा यह अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से भारत में यह श्रेणी सबसे छोटी है क्योंकि अधिकांश लघु उद्यम इस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते। कुल 5 करोड़ एमएसएमई में से 25000 कंपनियां भी ऐसी नहीं हैं जो इस वर्ग में शामिल हो सकें। अक्सर, भारत में इस परिदृश्य को 'मध्यम का अभाव' कहा जाता है। बैंकों की सहायता की गुणवत्ता में कमी के अलावा इस श्रेणी द्वारा अनुभव की जाने वाली बाधाएं इस प्रकार हैं: बैंकों द्वारा अतिरिक्त ऋणाधार की अपेक्षा, इक्विटी/आधारभूत पूंजी तक पहुंच, बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) सहित विदेशी मुद्रा ऋण और गैर-निधि आधारित बैंक सुविधाओं (जैसे बैंक गारंटी, कार्यनिष्पादन गारंटी) का प्रतिस्पर्धी मूल्य।

नीतिगत प्रतिक्रिया

नीति निर्माताओं ने इनमें से ज्यादातर चुनौतियों को समझा और इनके समाधान के लिए कदम भी उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी योजनाओं के साथ बड़े वित्तीय समावेशी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र पर जोर दिया गया है तथा बैंक अनौपचारिक क्षेत्र तथा उन क्षेत्रों तक पहुंचे हैं, जहां वे पहले कभी नहीं पहुंचे।

बैंकरों को और सुविधा मुहैया करने के लिए, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) का गठन किया गया है ताकि एमएसई ऋणाधार के बिना ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो सके। यह निधि ऋण में चूक की स्थिति में बैंकों को ऋण की राशि के 75 प्रतिशत तक का बीमा उपलब्ध कराती है। वित्त वर्ष-2015-16 के अंत तक सीजीटीएमएसई ने समग्र रूप से 23,23,673 ऋण गारंटी दी जिसका कुल मूल्य 1,08,991 करोड़ रुपए है। भारत में एमएसएमई में सूचना के असामंजस्य की समस्या, जिसके परिणामस्वरूप 'अति तत्परता' का सामना करना पड़ता है, के समाधान के लिए चार ऋण सूचना ब्यूरो नामत: सीआईबीआईएल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और हाइमार्क बनाए गए हैं।

एमएसएमई को चल संपत्ति के मौद्रीकरण में सहायता करने के लिए, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रीकन्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट (सीईआरएसएआई) ने चल संपत्ति रजिस्ट्री का गठन किया है जो बैंक वित्त प्राप्त करने के लिए चल सम्पत्ति को गिरवी करने की अनुमति देती है।

एमएसएमई को ग्रीनफील्ड अथवा मौजूदा व्यवसाय के विकास के लिए इक्विटी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बीएसई और एनएसई दोनों को डेडिकेटिड एसएमई एक्सचेंज बनाने की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, एमएसएमई को भुगतान में विलंब की समस्या का समाधान करने के लिए आरबीआई ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) चलाने

एमएसएमई को भुगतान में विलंब की समस्या का समाधान करने के लिए आरबीआई ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) चलाने के लिए तीन कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। ये मंच इलैक्ट्रॉनिक बिल फैक्टीरिंग एक्सचेंज की तरह काम करते हैं जहां एमएसएमई के इनवाइस/बिल का इलैक्ट्रॉनिक रूप से लेन-देन किया जा सकता है।

के लिए तीन कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। ये मंच इलैक्ट्रॉनिक बिल फैक्टीरिंग एक्सचेंज की तरह काम करते हैं जहां एमएसएमई के इनवाइस/बिल का इलैक्ट्रॉनिक रूप से लेन-देन किया जा सकता है।

अंतत: सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारों में से एक भारतीय दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 का लागू होना है। इस संहिता के तहत बोर्ड ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। कार्पोरेट कंपनियों (कंपनी अधिनियम द्वारा शासित) के लिए नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया गया है तथा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों (मुख्य रूप से एमएसएमई) के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आईबीआईसी बीमारी का समाधान करने के लिए तैयार है। तनावपूर्ण परिसम्पत्तियों को वित्तदाता द्वारा जल्द ही पुन: प्राप्त तथा पुन: फैलाया जा सकता है जिससे वित्तीय व्यवस्था में अनुशासन और विश्वास कायम होगा। इससे एनपीए के समाधान में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।

आगे का रास्ता

इन संस्थाओं के गठन से आधुनिक वित्तीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी हुई है। तथापि, ये आवश्यक उपाय हैं किन्तु पर्याप्त नहीं हैं। जैसे कैंसर के मरीज के लिए विटामिन, पौष्टिक खाना और व्यायाम जरूरी हो सकता है किन्तु उसे तब तक नहीं बचाया जा सकता जब तक कैंसर सेल को पूरी तरह से खत्म न कर दिया जाए।

एक करोड़ लोगों के लिए प्रति वर्ष नौकरियों का सृजन करने की चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में व्यापक सुधार की अभूतपूर्व आवश्यकता है। दूरसंचार की तरह ही बैंकिंग में भी क्रांति की जरूरत है ताकि ऐसी स्थिति का निर्माण किया जा सके, जहां सेवा प्रदाता ग्राहकों के पीछे भागें। सरकार को बैंकिंग से बाहर निकलना होगा तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र हेतु जगह खाली करनी होगी। दूसरा, बैंकों द्वारा मध्यस्थता की परंपरागत भूमिका को दूरसंचार कंपनियों तथा डिजिटल वित्तीय मंचों और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों जैसी नई कंपनियों से चुनौती मिल रही है। हमें इन उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के प्रति अपनी नीतिगत प्रतिक्रिया में तेजी लानी होगी। (हम पिछले 5 वर्षों से पी2पी मंच के बारे में वाद-विवाद कर रहे हैं लेकिन आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं)। आखिरकार डिजिटलीकरण पर जोर देने, विमुद्रीकरण और जीएसटी लागू होने से कारोबार करने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन होगा क्योंकि वाणिज्यिक लेन-देन पर अब नजर रखी जा सकेगी। जीएसटीएन के जरिए उत्पन्न होने वाली व्यापक जानकारी से सूचना आधारित सहायता सम्पत्ति आधारित सहायता से अधिक लाभदायक रहने की उम्मीद है जिससे परंपरागत बैंकिंग पूरी तरह बदल जाएगी। ❑